



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/गुप-8/वी.सी/2020

जयपुर, दिनांक :- 18/02/2021

वीडियो कॉन्फ्रेंस सूचना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, (राजस्थान)।

विषय – दिनांक 25.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजन के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक समिति कक्ष, उत्तरी-पश्चिमी भवन, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) आयोजित की गयी है। जिसमें राज्य स्तरीय समस्त अधिकारी एवं जिला स्तर से समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.) में अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेने का कष्ट करेंगे।

वी.सी. में योजनाओं की निम्नानुसार समीक्षा की जावेगी :-


1. प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक –

महात्मा गांधी नरेगा, जलग्रहण विकास, ग्रामीण विकास की योजनायें, राजीविका

2. दोपहर 3:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक –

पंचायती राज योजनायें एवं क्रियाकलाप, स्वच्छ भारत मिशन

भवदीय



(के.के. शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण।
- 6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
- 7 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 8 जिला कलक्टर समस्त।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
- 10 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस में योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेने हेतु :-

- 1 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
- 3 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
- 4 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
- 5 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 6 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
- 7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
- 8 संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
- 9 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
- 10 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
- 11 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
- 12 अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 13 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।
- 14 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 11 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि/आहरण वितरण अधिकारी, पंचायतीराज को सभागार एवं जल-पान आदि की व्यवस्था हेतु।
- 12 एनआईसी (वीसी प्रोग्राम) मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 25.02.2021 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक राज्य के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु समिति कक्ष, उत्तरी-पश्चिमी भवन, एसएसओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर में आवश्यक व्यवस्था करवाने का श्रम करें।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)